न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या –10/2022

उनवान

1. रमेश पुत्र गोविन्दराम
2. बाबूलाल पुत्र गोविन्दराम
3. लाडा देवी पत्नी गोविन्दराम

समस्त जाति खारवाल निवासी कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।

बनाम

अपीलाण्ट

बनाम

1. बीन्दा देवी पत्नी गैदा
2. हरिमोहन पुत्र गैंदा
3. धीरज पुत्र गैंदा
4. मीरा पुत्री गैंदा
5. दुलारी पुत्री गैंदा
6. रघुवीर पुत्र गैंदा

   समस्त जाति खारवाल निवासी कालवान तह0 सिकराय जिला दौसा।
7. ग्राम पंचायत कालवान जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कालवान पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय।

रेस्पोडेण्ट

दावा इन्द्राज दुरूस्ती बाबत

अपीलाण्ट की ओर से श्री बालकृष्ण गौड एड0

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

निर्णय **निर्णय दिनांक 18.02.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष इस आशय की अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1817/30 दिनांक 05.10.2015 ग्राम पंचायत कालवान पेश की अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगाय्यत 6 एक ही जाति खारवाल एवं एक ही गांव कालवान तह0 सिकराय जिला दौसा के स्थायी वासिन्दे है व आपस में कुटुम्बि भाई बंधु है जिन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा रेस्पो0 संख्या 7 ग्राम पंयायत कालवान एवं रेस्पो0 संख्या 8 राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। आराजी भूमि खसरा नंबर 629 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नंबर 899 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 900 रकबा 2.06 है0, खसरा नंबर 522 रकबा 42 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 747 रकबा 10.74 है0 वाके रामा कालवान तह0 सिकराय में स्थित है। यह है कि गैदा पुत्र सुक्का, सुक्का पुत्र भौला, भौला पुत्र हीरा, हीरा पुत्र पेमा, यह एक व्यक्ति है। रघुवीर, हरिमोहन, धीरज पुत्रान गैंदा, मीरा, दुलारी पुत्रीयान गैंदा, बीन्दा देवी पत्नी गैंदा, गैंदा पुत्र गोविन्दा, गोविन्दा पुत्र सोहन, सोहन पुत्र कालु, कालु पुत्र पेमा यह एक व्यक्ति है। परन्तु रेस्पो0 1 लगायत 6 ने ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव से मिलीभगत कर दो व्यक्तियों के गैदा नाम होने की फायदा उठाकर गैंदा पुत्र सुक्का के विरासत का नामान्तकरण संख्या 1817/30 दिनांक 05.10.2015 को गलत सिजरा दर्शित कर अपने हक में विरासत का नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि गैंदा पुत्र सुक्का एवं गैंदा पुत्र गोविन्दा अलग अलग व्यक्ति है। गैंदा पुत्र सुक्क अरसा दराज 50-60 साल पहले ही गांव छोडकर कही अन्यत्र चला गया और गैंदा पुत्र सुक्का अपनी पैतृक जायदाद संपत्ति कृषि भूमि को बाणे जोतने उपयोग उपभोग करने के लिये सोहन पुत्र कालू को दे गया। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने रेस्पो0 संख्या 7 एवं 8 से मिलिभगत कर साठगाठ कर गैंदा पुत्र सुक्का को मृत घोषित कर विरासत गलत अंकन कर नामान्तकरण संख्या 1817/30 दिनांक 05.10.2015 को भरवाकर इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर कानूनी रूप से करा लिया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 गैंदा पुत्र गोविन्दराम के जायिंदा वारिसान है। गैंदा पुत्र सुक्का के ग्राम कालवान मे कोई जायिंदा वारिसान नही है। और ना ही आज दिन तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वह कंहा निवास कर रहे है। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने रेस्पो0 संख्या 7 एवं 8 से मिलिभगत कर फर्जी तरीके से नामान्तकरण इन्द्राज कराकर व

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज करवाकर मुतदाविया भूमि को ऐन केन प्रकारेण ओने पोने दामो दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। और अपीलाण्ट को मुतदाविया भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। राजस्थान निर्वाचन नामावली सन 2013 ग्राम कालवान भाग संख्या 180 अनुभाग संख्या 2 कालवान बडा बास पर क्रम संख्या 564 पर बीन्दा पत्नी गैंदालाल अंकन है। राशनकार्ड ग्राम पंचायत कालवान राशनकार्ड संख्या 007837000134 पर गैदालाल पुत्र गोविन्दराम, धीरज पुत्र गैंदालाल, बीन्दा देवी पत्नी गैंदालाल पर अंकन है। जिससे बखूबी साबित है कि गैंदा पुत्र गोविन्दा अलग व्यक्ति है वह राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी नामान्तकरण संख्या 1817/30 व नामान्तकरण संख्या 509 दिनांक 20.12.1978 से यह बखूबी साबित है कि गैदा पुत्र सुक्का अलग अजग व्यक्ति है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1817/30 दिनांक 05.10.2015 को निरस्त कर तहसीलदार को रिमाण्ड किए जाने और अपील अपीलाण्ट के हक में नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

इत्यादि पर अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेण्टस की तलबी विधिवत जारी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय सुनी गई।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि रेस्पोडेण्टस द्वारा गलत तथ्यों एवं गलत सजरा खानदान के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाया गया है जो कि निरस्तनीय है। इसलिए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं नामान्तकरण खारिज कर पुनः विधिवत नामान्तकरण दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तकरण का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तकरण में मृतक खातेदार गेन्दया पि0 सुक्खा जाति खारवाल के स्थान पर रेस्पोडेण्टस के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया है। नामान्तकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तकरण दर्ज करते समय विधिक प्रावधानों का अनुसरण नही किया गया है, रेस्पोडेण्टस को किन दस्तावेजात के आधार पर मृतक खातेदार के वारिस मान लिया गया, यह स्पष्ट नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि नामान्तकरण दर्ज करते समय सभी विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। इसलिए प्रश्नगत नामान्तकरण निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

अतः अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1817/30 दिनांक 05.10.2015 ग्राम पंचायत कालवान निरस्त किया जाता है एवं इस आदेश के साथ तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाता है कि वह मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान की जांच करें एवं सभी विधिक वारिसान को पक्षकार संधारित कर, सभी वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करें। तहसीलदार को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय